

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2525

जिसका उत्तर मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है।

कोयला आधारित यूरिया

2525. श्री के. षण्मग सुंदरम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की कोयला आधारित यूरिया के विनिर्माण की कोई नीति है क्योंकि वर्तमान में भारत के पास अधिशेष कोयला है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार दूसरी पीढ़ी के जैव-ईंधन जिसे उद्योगों की स्थापना हेतु अग्रिम जैव-ईंधन के रूप में भी जाना जाता है के भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देगी;
- (घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष पेट्रोलियम आयात की आकलित बचत कितनी है;
- (ङ) कोयला आधारित यूरिया उत्पादन आरंभ होने के पश्चात् सरकार द्वारा की गई राजसहायता पर क्या प्रभाव पड़े हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क), (ख) और (ङ.): यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार ने 2 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन की घोषणा की थी। उक्त नीति गैस अर्थात् प्राकृतिक गैस (घरेलू/आरएलएनजी) और सीबीएम पर आधारित की जाने वाली यूरिया इकाइयों पर लागू है। इसमें कोयला गैसीकरण पर आधारित बंद पड़ी यूरिया इकाइयों और कोयला गैसीकरण पर आधारित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए उसी प्रकार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है जिस प्रकार प्राकृतिक गैस की समतुल्य कीमतें निकालने के बाद सीबीएम के संबंध की जाती है।

भारत सरकार फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की तलचर उर्वरक इकाई का पुनरुद्धार गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के एक संयुक्त उद्यम का गठन करके 'नामांकन आधार' के माध्यम से कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 12.7 लाख मी.टन प्रति वर्ष क्षमता का नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करके कर रही है।

8 (आठ) यूरिया विनिर्माण इकाइयां (नामत: इफको-फूलपुर-1, इफको-फूलपुर-11, जीएनवीएफसी-भरुच, एनएफएल-भटिंडा, एनएफएल-पानीपत, एनएफएल-नांगल, एसएफसी-कोटा और केएफसीएल-कानपुर) अपने संयंत्रों में फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस तथा ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करके यूरिया का विनिर्माण कर रही हैं। मौजूदा यूरिया निर्माण इकाइयों के लिए विद्यमान नीति के अनुसार कोयला आदि जैसे फीडस्टॉक सहित आदान की लागत राजसहायता की गणना में एक 'पास थ्रू' मद है।

(ग) और (घ): दिसम्बर, 2014 में सरकार ने शीरे के साथ-साथ सेल्यूलोसिक और लिग्नोसेल्यूलोस सामग्री जैसे अन्य गैर-खाद्य फीडस्टॉक से उत्पादित एथेनॉल की खरीद को अनुमति दी है जिसमें पेट्रोरसायन मार्ग शामिल है। सरकार ने द्वितीय पीढ़ी के जैव-ईंधनों सहित जैव-ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए जून, 2018 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 भी अधिसूचित की है। इन द्वितीय पीढ़ी के जैव-ईंधनों का उत्पादन लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास, फसल अवशिष्टों, शहरी ठोस अपशिष्ट आदि से किया जा सकता है। द्वितीय पीढ़ी के जैव-ईंधन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का प्रयोग करने वाली एकीकृत बायो-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव-ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" नामक एक स्कीम शुरू की है। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों से प्रतिवर्ष पेट्रोलियम आयात की बचत का अनुमान इस स्तर पर नहीं लगाया जा सकता है।
